बिहार विधान सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न	
श्री रामचन्द्र सहनी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक –04.07.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–पुन–04 के उत्तर के संबंध में क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि	**श्री नरेन्द्र नारायण यादव,** प्राधिकृत मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना ।
प्रश्न	**उत्तर**
1. क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत प्रखण्ड रामगढ़वा में सूखा राहत कोष, 2011 योजना के तहत लगभग 90 लाख रू0 का वितरण अंचल रामगढ़वा द्वारा एक सर्वे सूची के आधार पर राशि का वितरण करना था ;	यह सही है कि रामगढ़वा अंचल को वर्ष 2011 में सूखा राहत मद में कुल 85,24,800/–(पचासी लाख चौबीस हजार आठ सौ रू0) की राशि दी गयी थी, जिसका वितरण सर्वेक्षित सूची के आधार पर करना था ।
2. क्या यह बात सही है कि अंचलाधिकारी रामगढ़वा द्वारा बिना कोई सर्वे सूची को विचौलिया के माध्यम से गलत हस्ताक्षर एवं निशान लगाकर और सूखा राहत कोष 2011 के अंतिम तिथि और पंचायत चुनाव आधार संहिता के समय बैंकों से विभिन्न राजस्व कर्मचारियों द्वारा निकासी की गई है ;	समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार सर्वे सूची तैयार कर उसी के अनुसार सूखा राहत राशि का वितरण किया गया जिसे अभिश्रव के रूप में परिवर्तित किया गया। वितरण को राजस्व कर्मचारी द्वारा प्रमाणित किया गया है। रामगढ़वा अंचल द्वारा दि0–17.01.2011 को SBI के तीन चेक, यथा, चेक सं0–519870 से 519872 तक, दिनांक 24.01.2011 को चेक सं0–0651151 से 0651175 तक एवं C.B.I. का चेक सं0 001272 से 001219 तक निर्गत किया गया है । राजस्व कर्मचारी द्वारा बैंक से दिनांक –20.01.2011 से दिनांक –25.03.2011 तक राशि की निकासी कर राहत राशि का वितरण किया गया है। दिनांक 25.03.2011 को राजस्व कर्मचारी विजय कुमार दास द्वारा सकरार पंचायत में 62,900/–(बासठ हजार नौ सौ रू0) मात्र का वितरण जनप्रतिनिधियों के समक्ष किया गया है। कुछ पंचायतों में राशि का वितरण का सत्यापन अंचलाधिकारी आदापुर ने अंचल अधिकारी, रामगढ़वा एवं राजस्व कर्मचारी के साथ किया है एवं बयान भी दर्ज किया गया है । क्षेत्र में किसी ने अपनी शिकायत दर्ज नहीं करायी है ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त योजना के तहत की गई घोर वित्तीय अनियमता में संलिप्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध जॉचोपरांत उचित कार्रवाई कराने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक –04/वि0स0ता0–24/2014/............................/आ0प्र0, दिनांक –

प्रतिलिपि –प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञापांक –1509 दि0–28.06.2014 के क्रम में कुल 04(चार) प्रतियों में /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–

(सुनील कुमार)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक –04/वि0स0ता0–24/2014/......4689......./आ0प्र0, दिनांक – 31/12/14 .

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

31/12/14

संयुक्त सचिव

D:\Hall Wipro Photostat\Vidhai 27-6-14 31-7-14\Q ans 8-7-14.docx